

# कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

१०

वैध कालोनी प्रकोष्ठ (कोलार)

(कालोनी के विकास की अनुमति)

अनुमति क्रमांक 44.....

दिनांक 24.07.2020

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 / मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 और  
इसके अन्तर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्वन्धन तथा शर्तों) नियम  
1998 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए:-


श्री/ मेसर्स/ मेसर्स अग्रवाल इन्फ्रा द्वारा पार्टनर श्री संजीव अग्रवाल आत्मज स्व. श्री एस.के. अग्रवाल  
एवं भूमि स्वामी मेसर्स अग्रवाल इनफिनिटी द्वारा भागीदार श्री अरुण अग्रवाल पुत्र स्व.  
श्री आर.पी. अग्रवाल

निवासी : सागर प्लाजा-250, जोन-02, एम.पी. नगर भोपाल

मोहल्ला : वार्ड : नगर : भोपाल तहसील : कोलार जिला : भोपाल को


ग्राम- समरथा कलियासोत स्थित भूमि खसरा क्र. 299/1, 298/2, 298/3, 304, 297/2,  
298/1, 299/2, 297/1, (फेज-01 एवं 02) कुल रकवा 4.240 हेक्टेर में से भूमि खररा  
क्र. 299/1, 299/2, 298/2, 298/3, 304, 297/2, 298/1 रकवा 2.722 हेक्टेर की  
(फेज-01) की भूखण्डीय आवासीय विकास हेतु विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान  
की जाती है, कि-

- (1) म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत भू-व्यवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा।
- (2) म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-16 के अन्तर्गत कार्यालय नगर तथा ग्राम  
निवेश से प्राप्त अनुमोदित मानचित्र क्रमांक BPLP-452/एल.पी.16/धारा-16/न.ग्रा.नि/जि.या.  
/2014 भोपाल दिनांक 23/06/17 की समर्त शर्तों का पालन करना होगा।
- (3) नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्राप्त अनुमोदित मानचित्र अनुसार विकास कार्य करना होगा।
- (4) म.प्र. नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्तों) नियम 1998 के नियम -13  
अनुसार आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की समयसीमा 03 वर्ष निर्धारित की गई है।
- (5) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश दिनांक 26/05/2010 अनुसार कॉलोनी में रीबेज  
ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) प्रणाली स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा एवं तत्पश्चात् उसको  
उपचारात्मक तरीके से कालोनी के बगीचे इत्यादि में उपयोग किया जावें।
- (6) विकासकर्ता रांथा को यह ध्याता होगी कि वह अपनी भूमि/कालोनी से साटी कालोनी/भूमि से  
जल, मल निकास का समन्वय करते हुए ही विकास कार्य करे एवं अनउपचारित (Untreated) जल,  
मल की किसी भी दशा में सार्वजनिक अथवा अन्य किसी स्वामित्व की भूमि पर प्रवाहित नहीं किया  
जा सकेगा।

  
(विजय पाटेलकर)  
मुख्य नगर निवेशव कालोनी प्रकोष्ठ  
नगर निगम भोपाल

# काशीनगर नगर पालिका निगम अधिकार

- (7) रेन वाटर हावेरिटग प्रावधान अनुसार रेन वाटर हावेरिटग प्रणाली रथापत किया जाना अनिवार्य होगा।
- (8) मध्यप्रदेश नगर पालिक (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वधन तथा शर्तों) नियम 1998 के नियम 12 सहित अन्य समरत संवैधित शर्तों एवं म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19/04/2012 एवं 26/11/2016 व दिनांक 06/11/2019 के प्रावधानों के अनुसार, विकास अनुबंध एवं प्रस्तुत शपथ पत्र की समरत शर्तों का पालन कॉलोनाईजर द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (9) नगर निगम से नियमानुसार विधिवत भवन अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जावेगा। भूखण्डों के माप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की दशा में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (10) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल के पत्र क्र. 1094 दि. 16.07.2020 अनुसार मेसर्स अग्रवाल इन्फ्रा द्वारा कालोनी का विकास कार्य "सेज माईल स्टोन" के नाम से किया जावेगा इसमें कोई भी परिवर्तन बगैर पूर्व अनुमति के न किया जावे।
- (11) म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19/04/2012 के प्रावधानों के अंतर्गत कमज़ोर आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के भूखण्डों/भवनों का विकास/निर्माण सर्वप्रथम करना होगा एवं इनका आवंटन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26/11/2016 एवं 06/11/2019 के प्रावधानों अनुसार ही मान्य किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र में दर्शित कमज़ोर आय वर्ग के कुल 40 आवासीय भूखण्ड एवं निम्न आय वर्ग के कुल 27 आवासीय भूखण्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की दशा में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगा।
- (12) आपके द्वारा इस विकास अनुमति के साथ अनुमानित विकास कार्यों की लागत पर 01 प्रतिशत, राशि कर्मकार कल्याण उपकर के रूप में बुक क्र. 0628 दि. 09.06.2020 द्वारा कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल में जमा की गई है। विकास कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् विकास कार्यों के वारतविक मूल्य की अंतिम विवरणी सचिव कर्मकार कल्याण मण्डल को प्रस्तुत कर 01 प्रतिशत, उपकर राशि के अनुसार शेष राशि का भुगतान करना होगा अथवा अधिक जमा राशि हेतु रिफर्ड की कार्यवाही की जा सकेगी। अविष्य में अन्य किसी मद में यदि शेष राशि निकलती है, तो उसका भुगतान कॉलोनाईजर द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।
- (13) म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 एवं एन.वी.सी. भाग-4 के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था हेतु नवीन संशोधन अनुसार नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल से एन.ओ.सी. प्राप्त करना होगी तथा समरत फिटिंग स्वीकृति प्रावधान अनुसार लगाये जावें, तत्पश्चात् ही नियमानुसार सर्विस प्रमाण पत्र तथा अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किये जा सकेंगे।
- (14) विकसित की जाने वाली कॉलोनी में अनुबंध की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (15) आपके द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी विज्ञापन में रेरा का पंजीयन क्रमांक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का अनुमोदित मानचित्र, नजूल अनापत्ति, नगर निगम से जारी विकास अनुमति, एवं

  
 (प्रशासन सचिव कार्यालय)  
 मुख्य नगर निवेश कालोनी एकोल  
 नगर में 15 अगस्त

भवन निर्माण अनुमति एवं भूमि के व्यपर्वतन, संवंधी जानकारी एवं वंधक प्रकोष्ठो/भूखण्डो का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

- (16) विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है, उनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओवर हैड टैंक, गारेज डिर्पोजल एवं कालोनी एवं कालोनी का कचरा ईकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- (17) आवेदित स्थल पर स्थित एकस्ट्रा हाईटेंशन/इलेक्ट्रिक लाईन/टाँवर लाईन से म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमानुसार दूरी तक खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा उसके बीचे किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।
- (18) भविष्य में किसी भी प्रकार के भूमि स्वामित्व सम्बन्धी विवाद, स्वीकृत अभिन्यास से हटकर विकास/उल्लंघन, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर या किसी भी शासकीय विभाग से कोई आपत्ति प्राप्त होने पर तथा अनुवंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह अनुमति रवतः निरस्त भानी जावेगी।

सक्षम प्राधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका  
मुख्य नगर पालिका निगम, भोपाल

पृष्ठांकन क्र. ..... / का.प्रको. / 2020

भोपाल दिनांक .....

प्रतिलिपि—

- 1 संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, भोपाल की ओर अनुमोदित मानचित्र क्र BPILL-452/एल.पी.16/धारा-16/न.ग्रा.नि./जि.का./2014 भोपाल दिनांक 23/06/17 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेपित।

सक्षम प्राधिकारी एवं मुख्य नगर निवेशक  
नगर पालिका निगम, भोपाल